न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला— सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 1069/2015

उनवान

1. श्री उदा पिता धन्ना जाति डांगी उम्र बालिग निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।
2. श्री पेमा पिता धन्ना जाति डांगी उम्र बालिग निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।
3. श्री खेमा पिता धन्ना जाति डांगी उम्र बालिग निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।
4. श्री शंकर पिता धन्ना जाति डांगी उम्र बालिग निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।
5. श्रीमती रम्भा पत्नि धन्ना जाति डांगी उम्र बालिग निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भीमा पिता मोडा जाति डांगी उम्र बालिग निवासी जवारडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार, सलुम्बर हाल जिला—सलूम्बर (राज.)

—विपक्षीगण

<u>**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम**</u>

—::निर्णय::—

दिनांकः—19.06.2024

उपस्थितिः श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता—प्रार्थीगण
विपक्षी संख्या 1 एक पक्षीय
पैरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा जवारडा पटवार मण्डल मैथुडी तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण के पैतृक कृषि भूमि है जिसका विवरण सम्वत 2069 से 2072 की जमाबन्दी के अनुसार खाता संख्या नया 2 पुराना 3 आराजी नम्बर 387, 397, 401, 406, 422, 469 कुल किता 6 रकबा 0.70 हैक्टेयर लगान 16.86 रू. उक्त वर्णित आराजी नम्बर के पुराने नम्बर व खातों का विवरण सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 जमाबन्दी के अनुसार खाता संख्या नया 27 पुराना 26 आराजी नम्बर 159, 160, 261, 269, 260, 309, 324/2 कुल किता 7 रकबा 3 बीघा 4 बीस्वा है।

इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 की कृषि भूमि जो मौजा जवारडा पटवार मण्डल मैथूडी तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर की पैतृक कृषि भूमि जिसका विवरण सम्वत् 2069 से 2072 की जमाबन्दी के अनुसार खाता संख्या नया 43 पुराना 46 आराजी नम्बर 142, 147, 192, 355, 398, 400 कुल किता 7 रबा 0.62 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित आराजी के सेटलमेन्ट पूर्व की जमाबंदी सम्वत् 2039 से 2042 की जमाबन्दी अनुसार खाता सं. नया 37

खण्ड अधिकारी
बर, जिला सलूम्बर

पुराना 32 आराजी नम्बर 145, 161, 179, 187 कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 16 बीस्वा स्थित है।

प्रार्थीगण की नयी जमाबन्दी जो सवंत् 2039 से 2042 सेटलमेन्ट से पूर्व की है जिसमें प्रार्थीगण के पिता धन्ना पिता मावजी डांगी के खाते दर्ज है जिसमें आराजी संख्या 169 रकबा 7 बीस्वा कु. प्र. तथा आराजी संख्या 160 रकबा 4 बीस्वा किस्म बी. प्र. 3 बीस्वा, नाली 1 बीस्वा अंकित है। सेटलमेन्ट होने के बाद में आराजी नम्बर 159 व 160 दोनो पुराने नम्बरों को शामिल कर नये आराजी नम्बर 397 रकबा 0.10 है. (कु.प्र. 0.07 है. व बी.प्र. 0.03 है.) व आराजी नम्बर 401 रकबा 0.02 है. (कु.प्र. 0.01 है. व नाली 0.01 है.) किये गये। प्रार्थीगण के उक्त आराजी नम्बर पुराने नक्शे में सही अंकित है लेकिन सेटलमेन्ट के बाद जो नया नक्शा बना उसमें जो नाली है उसे नये नक्शे में विपक्षी संख्या 1 के अंकित कर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 के नये नक्शे में जो नम्बर नाली के रूप में अंकित किया गया है व आराजी नम्बर 398 रकबा 0.04 है. के पुराने आराजी नम्बर 161 रकबा 4 बीस्वा किस्म बी.प्र. है। सेटलमेन्ट के दौरान विपक्षी संख्या 1 ने मिलीभगत कर नये नक्शे में व नयी जमाबन्दी में नाली दर्ज कर दी जबकि पुरानी जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 खाता संख्या 37 में विपक्षी संख्या 1 के खाते आराजी संख्या 161 रकबा 4 बीस्वा है उसमें नाली अंकित नही है। जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। सेटलमेन्ट वालों की गलती के कारण प्रार्थीगण को दण्डित नही किया जाना चाहिये राजस्व रेकॉर्ड वर्तमान नक्शें में जो नाली विपक्षी संख्या 1 के आराजी नम्बर 398 में अंकित है उसे दुरस्त कर नाली प्रार्थीगण की आराजी के साथ नक्शे में किया जावें तथा इसी तरह वर्तमान जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 के खाते आराजी संख्या 398 है उस जमाबन्दी में भुमि वर्गीकरण के कॉलम में नाली 0.01 है का अंकन हटाया जावे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड नक्शें में व विपक्षी संख्या 1 की जमाबन्दी में दुरूस्ती की कार्यवाही के जरिये सेटलमेन्ट से पूर्ववत की स्थिति नये नक्शें व नयी जमाबन्दी में अंकित किये जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1 एक बावजुद सूचना के गैर हाजिर रहने से विपक्षी संख्या 1 एक के खिलाफ आदेशिका दिनांक 17–10–2016 एक पक्षीय कार्यवाही की गई। आदेशिका दिनांक 05–09–2018 को तहसीलदार सलूम्बर के आदेशिका पर अंकित किया की ओपचारीक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है।

प्रकरण में बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 मे आराजी संख्या 169 रकबा 7 बीस्वा कु. प्र. तथा आराजी संख्या 160 रकबा 4 बीस्वा किस्म बी. प्र. 3 बीस्वा, नाली 1 बीस्वा अंकित है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार आराजी नम्बर 159 व 160 दोनो पुराने नम्बरों को शामिल कर नये आराजी नम्बर 397 रकबा 0.10 है. (कु.प्र. 0.07 है. व बी.प्र. 0.03 है.) व आराजी नम्बर 401 रकबा 0.02 है. (कु.प्र. 0.01 है. व नाली 0.01 है.) किये गये। विपक्षी संख्या 1 के नये नक्शे एवं हाल जामबांदी मे आराजी नम्बर 398 रकबा 0.04 है. किस्म नाली 0.01 है., बी.प्र. 0.03 है. दर्ज अंकित है। आराजी नम्बर 398 रकबा 0.04 है. मिलान क्षैत्रफल अनुसार पुराने आराजी नम्बर 161 से बना होकर रकबा 4 बीस्वा किस्म बी.प्र. दर्ज अंकित है। उक्त आराजी नम्बर पुराने नक्शे में सही अंकित है लेकिन सेटलमेन्ट के बाद जो नया नक्शा बना उसमें जो नाली है उसे नये नक्शे में विपक्षी संख्या 1 के अंकित कर दिया गया है जो की त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किये जाने योग्य है।

खण्ड अधिकारी
म्बर, जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये:– श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–1069 / 2015
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले.रे.एक्ट

उनवान–श्री उदा बनाम श्री भीमा

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सलुम्बर को आदेश दिया जाता है मौजा जवारडा विपक्षी सं. 1 के हाल जमाबंदी मे आराजी नम्बर 398 भूमि किस्म नाली के बजाय सेटलमेन्ट पूर्व जमाबंदी अनुसार किस्म बी.प्र. अंकित करते हुए प्रार्थीगण के हाल नक्शे मे सेटलमेन्ट पूर्व के नक्शे अनुसार शुद्धी कर पैमुद किया जाकर तदअनुसार अमल दरामद करावें।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला – सलूम्बर

उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर, जिला सलूम्बर